ए.

एम. ए. एम. टी. ए. जेड. और ओ. आर. एस. बनाम

गुलसुमा एलियास कुलुसुमा (2022 की सिविल अपील संख्या 325) 18 जनवरी, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या 9 आर 13-सेक। 96-पूर्व-पक्ष डिक्री-दरकिनार करना-अपीलीय न्यायालय की शक्ति-विलंब की सजा-आवेदन की अनुपस्थिति में-अपीलार्थीगण ने घोषणा और कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया-प्रतिवादी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा एक-पक्षीय डिक्री पारित की गई थी-2 साल और 7 महीने की देरी के बाद प्रत्यर्थीगणओं द्वारा पहली अपीलीय अदालत के समक्ष अपील की गई थी-प्रतिवादी ने देरी की माफी के लिए आवेदन दायर किया, हालांकि उन्होंने बाद में उसे वापस ले लिया-पहली अपीलीय अदालत ने देरी को माफ करने के लिए किसी भी आवेदन के अभाव में सीमा के आधार पर अपील को खारिज कर दिया-प्रत्यर्थीगणओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की-उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील की अनुमति दी और निचली अदालत द्वारा पारित एक-पक्षीय फैसले और डिक्री को भी दरकिनार कर दिया।उच्च न्यायालय के समक्ष जिस बात को चुनौती दी गई थी, वह थी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, जिसमें पहली अपील को खारिज कर दिया गया था।96 सी. पी. सी. को किसी भी विलंबित आवेदन के अभाव में बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है-ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय अपील की सुनवाई के साथ आगे बढ़ा जैसे कि उच्च न्यायालय आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था-जबकि अपील निचली अदालत द्वारा पारित आदेश और डिक्री के खिलाफ थी, जिसे पहली अपीलीय अदालत ने सीमा द्वारा वर्जित के रूप में पुष्टि की थी-उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत कानून को ज्ञात प्रक्रिया से अनजान है-इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

984

985

एम. ए. एम. टी. ए. जेड. और ओ. आर. एस. बनामगुलसुमा एलियास कुलुसुमा ए

ए.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जिसे चुनौती दी गई थी, वह प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय और आदेश था, जिसमें सी. पी. सी. की धारा **96** के तहत पहली अपील को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी विलंबित क्षमा आवेदन के अभाव में इसे कायम नहीं रखा जा सकता था।प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।यदि उच्च न्यायालय की राय थी कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील में देरी को माफ नहीं करने और सीमा के आधार पर अपील को खारिज करने में गलती की है, तो उस मामले में उच्च न्यायालय सीमा के आधार पर अपील को खारिज करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर सकता था और उसके बाद गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेज सकता था।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय अपील की सुनवाई के साथ आगे बढ़ा, जैसे कि उच्च न्यायालय आदेश **IX** नियम **13** सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था, जबकि अपील ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश और डिक्री के खिलाफ थी, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीमा द्वारा वर्जित के रूप में पुष्टि की गई थी।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत कानून को ज्ञात प्रक्रिया से अनजान है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है।**[**पारस **5** और **6]** **[987-G-H; 988-A-C]**

बी.

सी.

डी.

ई.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील सं. 325

2022.

2021 के आर. एस. ए. No.200073 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की कालबुर्गी पीठ के दिनांकित 21.04.2021 के निर्णय और आदेश से।

एफ.

शरणगौड़ा पाटिल, सुश्री सुप्रिता शरणगौड़ा, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

एस. एन. भट, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री पार्वती भट, तरुण कुमार ठाकुर, डी. पी. चतुर्वेदी, शाहनवाज ममदापुर, सुश्री अनुराधा मुतातकर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

एच.

986

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2021 के आर. एस. ए. <आई. डी. 2 में पारित दिनांक 1 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और 2020 के आर. ए. संख्या 22 में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है और खारिज कर दिया है और निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को भी रद्द कर दिया है और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए निचली अदालत में भेज दिया है, मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

2. वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य, जो संक्षेप में वर्तमान अपील के निपटारे के उद्देश्य से आवश्यक हैं, निम्नानुसार हैं:- 2.1 कि इसमें अपीलार्थीगण ने घोषणा और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।विचारण न्यायालय ने 08.01.2018 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा उक्त वाद का फैसला सुनाया।इस प्रकार उक्त वाद एकतरफा रूप से आगे बढ़ा और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री एकतरफा डिक्री थी।2.2 प्रतिवादी के

लिए दो उपाय उपलब्ध थे-एक, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 (जिसे इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करना और दूसरा ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील करना पसंद करता है।

डी.

ई.

2.3 प्रत्यर्थी-प्रत्यर्थी ने इसमें दूसरे विकल्प को प्राथमिकता दी और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।पहली अपील को प्राथमिकता देने में 2 साल और 7 महीने की देरी हुई। इसलिए, इसमें प्रत्यर्थी-मूल प्रत्यर्थी-प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने देरी को माफ करने का अनुरोध करते हुए 2020 की आई. ए. संख्या 1 दायर की।हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता-मूल प्रतिवादी ने किसी भी कारण से देरी को माफ करने के लिए उक्त आवेदन को वापस ले लिया।

एफ.

2.4 कि पहली अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष आई।चूंकि देरी को माफ करने के लिए कोई नया आवेदन नहीं था और 2 साल और 7 महीने की देरी को माफ करने का अनुरोध करने वाले देरी आवेदन की पहले की माफी को वापस ले लिया गया था, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा पहली अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि देरी को माफ करने के लिए किसी भी आवेदन के अभाव में धारा 96 ए के तहत अपील

जी.

एच.

987

एम. ए. एम. टी. ए. जेड. और ओ. आर. एस. बनामगुलसुमा एलियास कुलुसुमा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

सी. पी. सी. बनाए रखने योग्य नहीं होगा।इस प्रकार, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पहली अपील को पूरी तरह से सीमा के उपरोक्त आधार पर खारिज कर दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।

2.5 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए अपील को किसी भी विलंबित क्षमा आवेदन के अभाव में बनाए रखने योग्य नहीं बताते हुए,

प्रत्यर्थी-मूल प्रत्यर्थी-ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील को प्राथमिकता दी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया है और न केवल प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें अपील को विलंबित आवेदन के अभाव में बनाए रखने योग्य नहीं माना गया है, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित एकतरफा निर्णय और डिक्री को भी खारिज कर दिया है, जैसे कि उच्च न्यायालय आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन में पारित आदेश पर विचार कर रहा था और निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को भी रद्द कर दिया है और रद्द कर दिया है और मामले को कानून के अनुसार मुकदमे के नए फैसले के लिए निचली अदालत में भेज दिया है।

बी.

सी.

डी.

2.6 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. हमने अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शरणगौड़ा पाटिल और प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी-मूल प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. एन. भट को सुना है।

ई.

4. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और ऊपर वर्णित तथ्यों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश, निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द करने और खारिज करने और मामले को निचली अदालत में वापस भेजने के लिए अस्थिर है।

एफ.

5. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जिसे चुनौती दी गई थी, वह प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय और आदेश था, जिसमें सी. पी. सी. की धारा 96 के तहत पहली अपील को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी विलंबित क्षमा आवेदन के अभाव में इसे कायम नहीं रखा जा सकता था।प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।यदि उच्च न्यायालय की राय थी कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील में देरी को माफ नहीं करने और सीमा के आधार पर अपील को खारिज करने में गलती की है, तो उस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर सकता था

जी.

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सीमा के आधार पर अपील को खारिज कर दिया और उसके बाद गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेज दिया।

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय अपील की सुनवाई के साथ आगे बढ़ा, जैसे कि उच्च न्यायालय आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर पारित आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था, जबकि अपील ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश और डिक्री के खिलाफ थी, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीमा द्वारा वर्जित के रूप में पुष्टि की गई थी।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया सी. पी. सी. के प्रावधानों के तहत कानून को ज्ञात प्रक्रिया से अनजान है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है।

बी.

सी.

7. इस स्तर पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी-मूल प्रत्यर्थी-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. एन. भट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मूल प्रत्यर्थी-अपीलार्थी को 2020 की आई. ए. संख्या 1 होने के विलंब की माफी के लिए आवेदन को पुनर्जीवित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, जिसे सीमा अधिनियम के प्रावधानों को गलत तरीके से लागू करने पर गलती से वापस ले लिया गया था। श्री भट, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यदि मूल प्रत्यर्थी को देरी की माफी के लिए आवेदन को पुनर्जीवित करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वह उपचारहीन होगा।

डी.

ई.

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।2021 के आर. एस. ए. No.200073 में पारित उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 21.04.2021 द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।मामला प्रथम अपीलीय अदालत में भेज दिया गया है।2020

का आर. ए. <आई. डी. 1 होने के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय के न्यायालय में फाइल में बहाल करने का आदेश दिया गया है। इसमें प्रत्यर्थी-मूल प्रतिवादी-अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष 2020 के आई. ए. सं. 1 के पुनरुद्धार के लिए एक उपयुक्त आवेदन दायर करने की अनुमति दी गई है और प्रथम अपीलीय न्यायालय को 2020 के आई. ए. सं. 1 को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया गया है, जिसे मूल प्रतिवादी-अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष गलती से वापस ले लिया गया प्रतीत होता है और उसके बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय पहले विलंब की माफी के लिए उक्त आवेदन का निर्णय और निपटान करता है और यदि उस मामले में देरी को माफ कर दिया जाता है तो प्रथम अपीलीय न्यायालय अंततः कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर पहली अपील का निर्णय और निपटान करता है।यदि किसी वैध कारण से, विलंब की क्षमा के लिए आवेदन ए है

एफ.

जी.

एच.

989

एम. ए. एम. टी. ए. जेड. और ओ. आर. एस. बनामगुलसुमा एलियास कुलुसुमा [एम. आर. शाह, जे.]

प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर यह बिना कहे चला जाता है कि मूल प्रतिवादी के लिए इसे उच्च मंच/न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का अधिकार होगा, जिस पर कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

वर्तमान अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा के अनुसार दी जाती है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.